International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

अनुबंध की स्वतंत्रता का एक अनुभवजन्य मूल्यांकन

डॉ अनिल कुमार सरोवा

सहायक आचार्य (राजनीति विज्ञान)

राजकीय कला महाविद्यालय सीकर (राजस्थान)

सार

स्वतंत्रता की स्वतंत्रता व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी तरीके से जीने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कौशलों को विकसित कर सकता है, समय का उपयोग सही ढंग से कर सकता है, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता है, और खुशहाल जीवन बिता सकता है। स्वतंत्रता के साथ काम करना व्यक्ति को अधिक संतुष्ट और आत्मनिर्भर बना सकता है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सफलता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होता है।

मुख्य शब्द: *अनुबंध, स्वतंत्रता*

परिचय

अनुबंध अधिनियम व्यावसायिक सन्नियम की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इस प्रकार के कानून के बिना किसी भी व्यापार या व्यवसाय को सुचारु ढंग से चलाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाएगा। अनुबंध अधिनियम केवल व्यवसाय में ही लागू नहीं होता बल्कि हमारे व्यक्तिगत दैनिक लेनदेन पर भी लागू होता है। वास्तव में, हममें से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन प्रातः काल से रात्रि तक अनेक अनुबंध करता है । जब कोई व्यक्ति समाचार पत्र खरीदता है या बस में सवार होता है या वस्तुएं खरीदता है या अपना रेडियो सेट मरम्मत के लिए देता है या लाइब्रेरी से पुस्तक पढ़ने के लिए लेता है तो वास्तव में वह अनुबंध करता है। इस प्रकार के समस्त लेनदेन पर अनुबंध अधिनियम के नियम लागू होते हैं। इसलिए प्रत्येक को अनुबंध संबंधी कानून जानना आवश्यक है, केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं अपितु सभी व्यक्तिगत लेन-देन के लिए भी। इस प्रारंभिक इकाई में, आप सर्वप्रथम यह जानेंगे कि हमें कानून की आवश्यकता क्यों है तथा इसकी विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं। इसके बाद आप व्यावसायिक सन्नियम के अर्थ इसके स्रोत तथा अनुबंध अधिनियम के मूलभूत पक्षों जैसे अनुबंध का अर्थ, इसका वर्गीकरण तथा वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।

अनुबंध की स्वतंत्रता एक अनुभवजन्य मूल्यांकन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन और पेशेवर सफलता पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। यह एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

- स्वतंत्रता से आत्म-प्राप्ति: अनुबंध की स्वतंत्रता से, व्यक्ति अपने आत्म-प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। वे अपने रुचि के काम में लग सकते हैं और वे जो कुछ करते हैं, वह उन्हें संतुष्टि और संवेदनशीलता देता है।
- निर्धारित समय सार्थक बनता है: अनुबंध की स्वतंत्रता से, व्यक्ति अपने काम के समय का प्रबंधन कर सकता है। वे अपने दैनिक गतिविधियों को अपने लक्ष्यों के साथ मेल कराने के लिए तय कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में प्राथमिकताएँ स्पष्ट होती हैं।
- सामर्थ्य का विकास: स्वतंत्रता के साथ काम करते समय, व्यक्ति अपनी सामर्थ्य को विकसित कर सकता है। वे नए कौशल सीख सकते हैं, नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अपनी नौकरी में या अपने व्यवसाय में अधिक समर्पित हो सकते हैं।
- स्वास्थ्य और भलाई: स्वतंत्रता के साथ काम करने से स्वास्थ्य और भलाई को सुनिश्चित करने का मौका मिलता है। व्यक्ति अपने जीवन की स्थितियों को बेहतर बना सकते हैं, जैसे कि वे स्वस्थ खानपान और व्यायाम को प्राथमिकता देते हैं।
- संतुष्टि और खुशी: स्वतंत्रता के साथ काम करने से व्यक्ति को उनके काम की प्राप्ति से आनंद और संतुष्टि मिलती है। यह उन्हें अपने जीवन में सफलता का एक गहरा अहसास दिलाता है।

कानून क्या होता है?

'कानून' शब्द का अर्थ समझने से पहले आपको यह भली-भाँति जान लेना चाहिए कि हमें कानून की आवश्यकता क्यों होती है। कोई भी सभ्य समाज कानून के बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक समाज में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानून का होना अत्यंत आवश्यक है। कानून के अभाव में, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा। समाज के विकास तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया तथा उसकी संपत्ति एवं अनुबंध से उत्पन्न अधिकारों की रक्षा के लिए कानून आवश्यक हो गया। अतः प्रत्येक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून आवश्यक हो गया। अतः प्रत्येक देश ने अपनी आवश्यकताओं तथा सामाजिक मूल्यों के अनुसार कानून आवश्यक बनाए ।

यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें उस कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए जिससे हम नियंत्रित होते हैं क्योंकि सामान्य नियम है कि कानून की अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति रेल में बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो वह यह तर्क देकर माफी के लिए माँग नहीं कर सकता कि उसे टिकट खरीदने संबंधी नियमों की जानकारी नहीं है। अतः यह हमारे अपने हित में है कि जो कानून हम पर लागू होते हैं, हम उनकी जानकारी रखें।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

कानून का अर्थ है नियमों का समूह। मोटे तौर पर कानून शब्द की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यह राज्य द्वारा स्वीकृत एवं प्रवर्तित ऐसे नियम हैं जो न्याय शांतिपूर्ण जीवन एवं सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से व्यक्तियों के आचरण या व्यवहारों को नियंत्रित करते हैं । 'कानून' शब्द की मुख्य परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

"कानून आचरण के वे नियम हैं जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं तथा जो यह निर्देश देते हैं कि क्या ठीक है तथा निषिद्ध कार्यों को करने से मना करते हैं । " (ब्ले कस्टोन) "कानून से तात्पर्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त तथा प्रयुक्त सिद्धांतों के समूह से है जिनके द्वारा न्यायिक प्रशासन किया जाता है ।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से आपको यह अच्छी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि कानून ऐसे सिद्धांतों व नियमों का समूह है जो व्यक्तियों के एक दूसरे के तथा समाज के प्रति मानवीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है । यह तो आपको ज्ञात ही है कि कोई भी समाज स्थायी नहीं होता, उसके मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं । अतः समाज की बदलती आवश्यकताओं के साथ साथ कानून में भी परिवर्तन होते रहते हैं ।

कानून की अनेक शाखाएँ हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून, सांविधानिक कानून, फौजदारी कानून दीवानी कानून आदि। प्रत्येक कानून केवल कुछ विशिष्ट कार्यों को ही नियमित एवं नियंत्रित करता है। व्यावसायिक या व्यापारिक कानून, कानून की अलग शाखा नहीं है। यह दीवानी कानून का ही एक भाग है जो व्यक्तियों के मध्य, व्यापारिक संपत्ति से संबंधित व्यापारिक व्यवहारों से उत्पन्न होने वाले अधिकारों व दायित्वों से संबंधित है ।

व्यावसायिक सन्नियम का अर्थ एवं स्रोत

आप जानते हैं कि व्यावसायिक सन्नियम दीवानी कानून का एक भाग है तथा यह देश के व्यापार और वाणिज्य को नियमित एवं नियंत्रित करता है । अन्य शब्दों में, व्यावसायिक सन्नियम के अंतर्गत ऐसे कानून आते हैं जो व्यापार में लगे व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं तथा इसमें अनुबंध साझेदारी, कंपनियों, विनिमयसाध्य विपत्रों, बीमा, माल परिवहन, पंच- निर्णय आदि से संबंधित कानून आते हैं।

भारतीय व्यावसायिक सन्नियम का अधिकांश भाग आंग्ल भारतीय व्यापारिक सन्नियमों पर आधारित है। विभिन्न भारतीय कानून अधिकांशतः आंग्ल व्यापारिक नियम का ही पालन करते हैं परंतु भारत की विशेष परिस्थितियों एवं रीति-रिवाजों को ध्यान में रखते हुए इनमें जहां-तहां परिवर्तन कर दिए गए हैं। भारतीय व्यावसायिक सन्नियम के निम्नलिखित हैं :

1. आंग्ल व्यापारिक सन्नियम (English Mercantile Law) : हमारे कानून मुख्य रूप से आंग्ल कानूनों पर आधारित हैं जिसका विकास आंग्ल व्यापारियों तथा तिजारतियों की रीतियों एवं प्रथाओं से हुआ है। व्यापारियों

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

के परस्पर व्यवहार इन्हीं रीतियों एवं प्रथाओं से नियमित होते थे। इस कानून को सामान्य कानून भी कहते हैं। वास्तव में यह एक अलिखित कानून है जो प्रथाओं, रीतियों तथा पूर्व निर्णयों पर आधारित है। अनुबंध संबंधी कानून, जो व्यावसायिक सन्नियम का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, अभी भी इंग्लैंड के कॉमन लॉ का एक भाग है। जब किसी मुद्दे के बारे में किसी अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया हो या वे अस्पष्ट हों तो भारतीय न्यायालय आज भी आंग्ल कानून का सहारा लेते हैं।

2. भारतीय परिनियम कानून (Indian Statute Law) : भारत में व्यावसायिक सन्नियम का मुख्य स्रोत संसद द्वारा पारित अधिनियम हैं। संसद द्वारा पारित कुछ अधिनियम यह हैं - भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872; विनिमयसाध्य प्रपत्र अधिनियम, 1881; वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930; भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932; कंपनी अधिनियम, 2013; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 भारतीय प्रतिभूति और विनियम अधिनियम बोर्ड, 1992; सूचना तकनीक अधिनियम, 2000; इत्यादि ।

3. न्यायिक निर्णय (या केस कानून) (Judicial Decision) : कानून का एक महत्वपूर्ण स्रोत न्यायालय द्वारा दिए गए पिछले निर्णय हैं। मिलते-जुलते मुकदमों का निर्णय करते समय न्यायालय पिछले महत्वपूर्ण निर्णयों का हवाला प्रायः पूर्व-दृष्टांत के रूप में देते हैं। पिछले निर्णय मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। जब कभी भी किसी मुद्दे के बारे में कानून में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है तो न्यायाधीश ऐसे मुकदमों का निर्णय न्याय, समन्याय (equity) तथा सद्विवेक (good conscience) के नियमों के अनुसार करते हैं। विभिन्न मुकदमों का निर्णय करते समय तथा भारतीय परिनियम का भाषांतर करते समय प्रायः आंग्ल न्यायालयों के निर्णयों का पूर्व दृष्टांतों के रूप में दिया जाता है ।

4. प्रथाएं तथा रीति-रिवाज (Customs and Usage) : किसी व्यापार विशेष की प्रथाएं तथा रीति रिवाज भी भारतीय व्यावसायिक सन्नियम का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यह व्यापार विशेष के व्यापारियों के मध्य परस्पर लेनदेन को नियमित करते हैं । परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि ये प्रथाएं व रीति-रिवाज विख्यात, उचित व निश्चित हों तथा किसी कानून के विपरीत न हों। भारतीय अनुबंध अधिनियम ने इस तथ्य को स्वीकार किया है तभी यह प्रावधान किया है कि, 'इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से व्यापार में प्रचलित कोई रीति या प्रथा प्रभावित नहीं होगी ।' विनिमय साध्य प्रपत्र अधिनियम में भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के किसी प्रावधान से किसी पूर्वदेशीय भाषा (oriental language) में लिखित प्रपत्र संबंधी स्थानीय प्रथा प्रभावित नहीं होगी।

अनुबंध संबंधी कानून

अनुबंध संबंधी कानून भारत के व्यावसायिक सन्नियम का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। यह उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जबकि अनुबंध के पक्षकार अपने-अपने वचन से बाध्य होते हैं तथा यदि कोई पक्ष अपने वचन

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध उपचारों की व्याख्या करता है । अनुबंध संबंधी कानून का वर्णन भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में किया गया है। इस अधिनियम में अनुबंधों को नियमित करने वाले सामान्य सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त इसमें क्षतिपूर्ति, गारंटी, निक्षेप, गिरवी तथा एजेंसी आदि विशिष्ट प्रकार के अनुबंधों से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है। सन 1930 से पहले इस अधिनियम में वस्तु विक्रय तथा साझेदारी अनुबंधों से संबंधित प्रावधान भी शामिल थे। सन् 1930 में वस्तु विक्रय से संबंधित नियम (धारा 76 के 123 तक) निरस्त कर दिए गये। यह अधिनियम सर्वांगपूर्ण नहीं है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के अनुबंधों से संबंधित नियमों का उल्लेख नहीं है। विनिमयसाध्य प्रपत्रों, बीमा, माल परिवहन आदि से संबंधित अनुबंधों के लिए पृथक-पृथक अधिनियम हैं । आइए, अब हम अनुबंध की वास्तविक, प्रकृति तथा इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन करते हैं ।

क्या स्वायत्तता अनुबंध का मूल हो सकती है?

पाठकों के लिए एक नोट: यह भाग एक नाजुक संतुलन का प्रयास करता है - हम संक्षिप्तता और पारदर्शिता का लक्ष्य रखते हैं ताकि सामान्य पाठक के धैर्य को समाप्त न किया जा सके, जबकि यह पहचानते हुए कि नव-कांतियन अनुबंध विशेषज्ञ के लिए डीओन्टोलॉजिकल स्वायत्तता का कोई भी खाता बहुत जटिल नहीं है। हमारे सकारात्मक सिद्धांत पर दबाव डालने के इच्छुक लोगों के लिए, संक्षेप में बताया जा सकता है: (1) अनुबंध का कोई भी आधुनिक उदारवादी खाता चार्ल्स फ्राइड के अनुबंध के रूप में वादे के साथ शुरू होना चाहिए। 9 इस कार्य ने अनुबंध की स्वायत्तता के संबंध पर बहस को पुनर्जीवित कर दिया, लेकिन मूल नियामक चिंता को हल करने में विफल रहा, यानी, वादों के प्रति राज्य की जबरदस्ती को कैसे उचित ठहराया जाए। (2) बाद में उदारवादी आलोचकों ने फ्राइड के विवरण को परिष्कृत करने और अनुबंध कानून के लिए एक अधिकार-आधारित आधार विकसित करने का प्रयास किया जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को बढ़ाने में इसके योगदान पर निर्भर नहीं करता है। (3) तीस वर्षों के बाद, अब हम कह सकते हैं कि यह डिओन्टोलॉजिकल चक्कर विफल हो गया है। लेकिन, (4) एक उदारवादी सिद्धांत अभी भी संभव है यदि हम इसकी (टेलीलॉजिकल) नींव के रूप में स्व-लेखक के रूप में स्वायत्तता की एक सुविचारित अवधारणा को अपनाते हैं।

कॉन्ट्रैक्ट एज़ प्रॉमिस का पहला और सबसे स्थायी योगदान सिद्धांतकारों की पीढ़ियों को पीछे धकेलना था - 1930 के दशक में फुलर और पर्ड्यू से लेकर 1970 के दशक में गिलमोर और अतियाह तक - जिन्होंने अनुबंध को अपकृत्य और पुनर्स्थापन के क्षेत्र में मोड़ने की मांग की थी।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

ऐसे क्षण में जब आलोचकों ने पहले ही द डेथ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की घोषणा कर दी थी, फ्राइड ने अनुबंध को गंभीरता से लेने के लिए व्यक्तिगत स्वायत्तता की कांतियन धारणाओं पर आधारित एक शक्तिशाली नैतिक औचित्य की पेशकश की। 11 अनुबंध, जैसा कि उन्होंने समझाया, लोगों को अपनी परियोजनाओं में दूसरों को शामिल करने के लिए सशक्त बनाकर व्यक्तिगत स्वायत्तता बढ़ाता है। 12 यह अंतर्ज्ञान मजबूत है। 13 फ्राइड का विशिष्ट सिद्धांत, हालांकि, उतना अच्छा नहीं रहा है। उनके कांतियन के लिए चुनौती "वसीयत के बंधन की अवधारणा", जिसे वह "वादा सिद्धांत के केंद्र में" रखते हैं, अनुबंध कानून की जबरदस्त प्रथाओं को उचित ठहराना है।14 फ्राइड के लिए, वादे निभाने की प्रतिबद्धता का आधार है विश्वास करें कि एक वादा वादा करने वाले के भविष्य के कार्यों के संबंध में आह्वान करता है।15 यह विश्वास, बदले में, केवल वादा करने वाले के सामाजिक सम्मेलन के संदर्भ में ही उचित ठहराया जा सकता है। फ्राइड बताते हैं कि यह सम्मेलन लंबे समय में हमारे विकल्पों का विस्तार करके हमारी स्वायत्तता बढ़ाता है। वादा करना हमें उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है जिन्हें हम दूसरों के सहयोग से ही पूरा करने में सफल हो सकते हैं।16

लेकिन राज्य को वादा करने वाले पर हानिकारक निर्भरता के अभाव में वादे को पूरा करने के लिए बाध्य क्यों करना चाहिए? स्वतंत्र व्यक्तियों को दायित्व के बिना अपना मन बदलने में सक्षम क्यों नहीं होना चाहिए? फ्राइड वादे के नैतिक मूल्य और राज्य द्वारा जबरदस्ती के उपयोग के बीच अंतर को पाटने में कठिनाई को पहचानते हैं: वादों पर भरोसा करने से उत्पन्न सामाजिक मूल्य "यह नहीं दिखाता है कि मुझे किसी विशेष मामले में इसका लाभ क्यों नहीं उठाना चाहिए और फिर भी अपना वादा निभाने में असफल क्यों होना चाहिए" वादा।" फिर भी, फ्राइड जारी रखते हैं, वादा-पालन का व्यक्तिगत दायित्व "व्यक्तिगत स्वायत्तता और विश्वास के सम्मान पर आधारित है।"18 वादा करने वाला जानबूझकर एक सम्मेलन का आह्वान करता है जिसका कार्य "दूसरे को आधार - नैतिक आधार - देना' है वादा किए गए प्रदर्शन की उम्मीद करें।''19 इसलिए, किसी वादे से मुकरना विश्वास का दुरुपयोग है और इस प्रकार वादा करने वाले की भेद्यता, दोनों को वादा करने वाले ने स्वतंत्र रूप से आमंत्रित किया है; यह किसी अन्य व्यक्ति का गलत शोषण है। संक्षेप में, अनुबंध - जो वादों की एक प्रजाति है - अवश्य निभाए जाने चाहिए क्योंकि वादे अवश्य निभाए जाने चाहिए; और वादे निभाए जाने चाहिए क्योंकि वादा करना "एक ऐसा उपकरण है जिसे स्वतंत्र, नैतिक व्यक्तियों ने आपसी विश्वास के आधार पर तैयार किया है, और जो उस आधार से अपनी नैतिक शक्ति इकट्ठा करता है।"20 यहां समस्या यह है: कांतियन दृष्टिकोण से, फ्राइड ने अपना

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

सूत्रीकरण किया है औचित्यपूर्ण अंतर को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे स्थानांतरित करता है। किसी के विश्वास का दुरुपयोग न करने का नैतिक कर्तव्य आवश्यक रूप से उसके लिए कानूनी कर्तव्य को उचित नहीं ठहराता है।21 इस प्रकार, फ्राइड की अधिकार-आधारित प्रतिबद्धता विश्वास बनाए रखने से संबंधित परिणामवादी नींव के ऊपर असुविधाजनक रूप से बैठती है। इन असंगत नैतिक नींवों को एक साथ मिलाकर, 22 फ्राइड ने आने वाले डेंटोलॉजिकल चक्कर के लिए द्वार खोल दिया।

द डोन्टोलॉजिकल डिटोर

1. स्थानांतरण सिद्धांत. फ्राइड के बाद, मूल प्रश्न बना हुआ है: वचनदाता पर कानूनी दबाव डालने का क्या औचित्य है? हालाँकि कई उत्तर दिए गए हैं, लेकिन जो मुख्य तत्व वे साझा करते हैं वह यह धारणा है कि एक अनुबंध कुछ, कुछ "चीज़" स्थानांतरित करता है। पीटर बेन्सन तर्क का एक संस्करण पेश करते हैं: सबसे पहले, वह तर्क देते हैं (फ्राइड के विपरीत) कि वादा करने वाले के विश्वास का दुरुपयोग करना नैतिक रूप से दोषपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस दोषपूर्णता को कानूनी दायित्व, अनुपस्थित हानिकारक निर्भरता को जन्म नहीं देना चाहिए।23 जैसा कि वह कहते हैं, यदि " यह मानने का कोई आधार नहीं है कि गैर-प्रदर्शन से वादा किए गए व्यक्ति की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचता है," तो "इस निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई आधार नहीं है कि वादा करने वाले को मुआवजे के रूप में वादा किए गए प्रदर्शन के बराबर राशि सौंपने के लिए कहा जाना चाहिए।"

यह दृष्टिकोण बेन्सन के दूसरे बिंदु का सुझाव देता है: वह अनुबंध कानून - जो विशेष रूप से पूरी तरह से निष्पादन अनुबंधों को लागू करता है - को केवल तभी उचित ठहराया जा सकता है जब अनुबंध पहले से ही वादा करने वाले से वादा करने वाले को "कानूनी रूप से संरक्षित हित" हस्तांतरित करता है, ताकि "प्रदर्शन उन अधिकारों का सम्मान करे जबकि" उल्लंघन उन्हें घायल करता है," और इस प्रकार स्थानांतरण इस गलती को सुधारने के लिए राज्य के हस्तक्षेप को उचित ठहराता है। यदि सिद्धांत काम करता है, तो यह स्थानांतरण है, वादा नहीं, जो विश्वास को बनाए रखने या स्वायत्तता बढ़ाने जैसी परिणामवादी चिंताओं से पूरी तरह से अलग, अधिकार-आधारित आधार पर राज्य के दबाव को उचित ठहराता है। यह न केवल बेन्सन का, बल्कि फ्राइड के बाद के सभी "हस्तांतरण सिद्धांतकारों" का भी मुख्य कदम है। उनकी चुनौती यह समझाने की है कि वास्तव में अनुबंध हस्तांतरण क्या है और वे ऐसा कैसे करते हैं। जबकि स्थानांतरण सिद्धांतकार

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

बारीकियों में भिन्न होते हैं, समूह के सबसे कठोर नव-कांतियन, आर्थर रिपस्टीन, उनके सामान्य अभिविन्यास को उपयुक्त रूप से पकड़ते हैं। रिपस्टीन के लिए अनुबंध, "वह कानूनी साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने लिए व्यवस्था करने और अपने संबंधित अधिकारों और कर्तव्यों को बदलने के हकदार हैं।" अनुबंध के उनके विश्लेषण का प्रारंभिक बिंदु - कानून के उनके सामान्य सिद्धांत के आधार की तरह - एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। स्व-लेखकत्व के रूप में स्वायत्तता की अधिक मजबूत अवधारणाओं के विपरीत, कांतियन स्वतंत्रता को बढ़ावा देना अच्छा नहीं है, बल्कि दूसरों के आचरण पर एक बाधा है, जो इस आवश्यकता से समाप्त हो जाती है कि कोई भी किसी और को यह नहीं बता सकता कि उसे किस उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। इस पृष्ठभूमि में, स्वतंत्र लोगों को "परस्पर निर्भर रूप से अपने स्वयं के उद्देश्यों को निर्धारित करने और आगे बढ़ाने" में सक्षम बनाने से अनुबंध को अपना महत्व मिलता है। यहां, सहमति की अवधारणा "दो व्यक्ति अपने बीच नए अधिकार और कर्तव्य बनाने के लिए अपनी इच्छाओं को एकजुट करने" के रूप में की गई है। एक संयुक्त इच्छा पहले से मौजूद अधिकार के हस्तांतरण को उचित ठहरा सकती है; यह "नए अधिकार भी बना सकता है, जिसमें उन चीज़ों के अधिकार भी शामिल हैं जिन्हें हस्तांतरण के लिए पूरी तरह से निर्धारित पूर्ववर्ती के रूप में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है।" रिपस्टीन का तर्क जटिल है, लेकिन उसकी निचली पंक्ति सरल है: एकजुट इच्छा पर आधारित लेनदेन के माध्यम से, वादा करने वाले को वादा करने वाले के भविष्य के प्रदर्शन को मजबूर करने के लिए शीर्षक प्राप्त होता है।

2. तीन साझा विशेषताएं. यह संक्षिप्त सारांश स्थानांतरण सिद्धांतों की तीन विशिष्ट विशेषताओं को उजागर करने के लिए पर्याप्त है। (ए) जैसा कि अभी उल्लेख किया गया है, स्थानांतरण सिद्धांतकार इस वैचारिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध हैं कि अनुबंध का कार्य वादा करने वाले को एक अधिकार हस्तांतरित करता है (या तो एक अधिकार जो अनुबंध से पहले मौजूद है, या एक जिसे अनुबंध स्वयं बनाता है)। यह बिंदु उनके दावे का आधार है कि उल्लंघन को "अनुबंध निर्माण में प्राप्त वादे के स्वामित्व हित में हस्तक्षेप" के रूप में समझा जाना चाहिए, और इस प्रकार एक चोट है जिसे कानून पार्टियों की कांतियन स्वतंत्रता के सख्त पालन के आधार पर ठीक करता है।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चा हमें वर्तमान कानूनी स्थिति, 2011 और 2014 के अध्ययनों के परिणामों और अन्य न्यायालयों में अपनाए गए दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बीओए पर अंग्रेजी कानून में सुधार के मामले पर एक निष्कर्ष पर लाती है। जैसा कि हमने भाग 2 में दिखाया है, मोटे तौर पर अंग्रेजी कानून वर्तमान में एक देनदार के अपने लेनदार के संपर्क में ऋण के असाइनमेंट को प्रतिबंधित करने के अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन एक असाइनमेंट का लेनदार समनुदेशक और तीसरे पक्ष समनुदेशिती के बीच कुछ प्रभाव होने की संभावना है। बहरहाल, ग्राहक के खिलाफ सीधे अधिकारों की अनुपस्थिति के कारण तीसरे पक्ष के लिए कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भाग 3 और 4 में चर्चा किए गए 2011 और 2014 के अध्ययनों से पता चला है कि ग्राहकों को बीओए में वास्तविक रुचि है, विशेष रूप से उन्हें अक्सर मूल आपूर्तिकर्ता के स्थान पर एक फाइनेंसर के साथ सौदा करने के बारे में चिंता होती है। इसलिए पार्टियों के पास अपने अनुबंध में बीओए शामिल करने के अच्छे कारण हो सकते हैं। फिर भी, वर्तमान कानून में बीओए का प्राप्य वित्तपोषण पर प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है जो कि बीओए द्वारा ग्राहक को मिलने वाले लाभों के अनुपात से बाहर है। हमारा मानना है कि वर्तमान कानून पूरी तरह से असंतोषजनक होगा यदि इसमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए उपलब्ध "वर्कअराउंड" नहीं होते और जिसका वर्णन हमने भाग 2 में किया है। भाग 3 और 4 में चर्चा किए गए 2011 और 2014 के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि प्राप्य वित्तपोषण उद्योग वास्तव में इनमें से कुछ समाधानों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। फिर भी, जैसा कि हमने भाग 2 में दिखाया है, इन समाधानों के साथ कई अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, जिससे यह जोखिम पैदा होता है कि न्यायिक निर्णय उनके खिलाफ कानून को सख्त कर सकता है और परिणामस्वरूप प्राप्य वित्तपोषण के चल रहे प्रावधान को अस्थिर कर सकता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सुधार में योग्यता है, विशेष रूप से एसएमई ब्रिटेन के लिए वित्त तक पहुंच में चल रही चुनौती को देखते हुए।

संदर्भ

[1] अज़हरूदीन, एन, और अरुलराजा, एए (2018 भावनात्मक मांग, नौकरी की मांग, भावनात्मक थकावट और टर्नओवर इरादे के बीच संबंध"। इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, 11(10), पीपी. 8-18।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

[2] बज्जिना, वी (2015)। "जनसंख्या की सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक भलाई के एक कारक के रूप में श्रम गतिविधि"। प्रोसीडिया- सामाजिक और व्यवहार विज्ञान, 166, पीपी 74-81।

[3] बेज़िन, ई, और पोन्थिअर, जी (2019)। कॉमन्स और समाजीकरण की त्रासदी: सिद्धांत और नीति"। जर्नल ऑफ़ एनवायर्नमेंटल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, 98, पीपी. 1-10।

[4] बर्चर्ड, डी (2019)। कानून के कार्य और उनकी चुनौतियाँ: अंतर्राष्ट्रीय कानून की विभेदित कार्यक्षमता"। जर्मन लॉ जर्नल, 20(4), पीपी. 409-429।

[5] बामज़ई, आदित्य। "प्राकृतिक एकाधिकार विनियमन में बेकार दोहराव थीसिस।" शिकागो विश्वविद्यालय कानून समीक्षा 71, संख्या। 4 (पतन 2004): 1525-47। http://www.jstor.org.turing.library.northwestern.edu/stable/pdf/1600530.pdf।

[6] बर्नस्टीन, जेरेड। "न्यूनतम वेतन: इसे कौन बनाता है?" न्यूयॉर्क टाइम्स, 9 जून 2014। 3 मार्च 2017 को एक्सेस किया गया। https://www.nytimes.com/2014/06/10/upshot/minimumwage.html।

[7] बन्स, मैरी ई. "नौकरी चाहने वालों के लिए उपलब्ध प्लेसमेंट सेवाओं की एक परीक्षा: आम लोगों के साहित्य की समीक्षा।" जर्नल ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग 21, संख्या। 4 (दिसंबर 1984): 175-81। http://onlinelibrary.wiley.com.turing.library.northwestern.edu/doi/10.1002/j.2161-1920.1984.tb00801.x/epdf.

[8] वाशिंगटन राज्य का श्रम ब्यूरो। द्विवार्षिक रिपोर्ट. ओलंपिया, WA: स्टेट प्रिंटर, एन.डी. कई मामले

[9] श्रम सांख्यिकी ब्यूरो। न्यूनतम वेतन श्रमिकों की विशेषताएँ, 2015। रिपोर्ट संख्या। 1061. 2016. 3 मार्च, 2017 को एक्सेस किया गया। https://www.bls.gov/opub/reports/minimumwage/2015/home.htm।

[10] कार्कैग्नो, जॉर्ज जे., रॉबर्ट सेसिल, और जेम्स सी. ओहल्स। "सार्वजनिक सहायता प्राप्त ग्राहकों को नौकरियों में रखने के लिए निजी रोजगार एजेंसियों का उपयोग करना।" द जर्नल ऑफ़ ह्यूमन रिसोर्सेज 17, सं. 1 (शीतकालीन 1982): 132-43. http://www.jstor.org.turing.library.northwestern.edu/stable/pdf/145529.pdf।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 14 Issue 12, Dec- 2024
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 8.018
(An open access scholarly, peer-reviewed, interdisciplinary, monthly, and fully refereed journal.)

[11] केव्स, डगलस डब्ल्यू., लॉरिट्स आर. क्रिस्टेंसन, और जोसेफ ए. स्वानसन। "द स्टैगर्स एक्ट, 30 साल बाद।" विनियम 33, सं. 4 (शीतकालीन 2010): 28-31. http://search.proquest.com.turing.library.northwestern.edu/docview/853734114?OpenUrl RefId=info:xri/sid:primo&accountid=12861।

[12] ओक्लाहोमा राज्य का निगम आयोग। आठवीं और नौवीं वार्षिक रिपोर्ट। ओक्लाहोमा सिटी: हार्लो, 1916। https://hdl.handle.net/2027/uc1.b2878635।

[13] ड्रायसडेल, विलियम। "बेकिंग एक ललित कला के रूप में: एक विशेषज्ञ हमें बताता है कि उसका व्यवसाय कैसे प्रबंधित किया जाता है।" न्यूयॉर्क टाइम्स, दिसंबर 27, 1896, 8. प्रोक्वेस्ट ऐतिहासिक समाचार पत्र।